[2011] 3 उम. नि. प. 11

सुनीता कुमारी कश्यप

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

11 अप्रैल, 2011

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् और न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 178 और 179 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 498क और धारा 34 के साथ पठित धारा 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – दांडिक कार्यवाहियां – पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता बरते जाने से संबंधित अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दांडिक कार्यवाहियां – क्षेत्रीय अधिकारिता – पत्नी द्वारा पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध रांची में दुर्व्यवहार किए जाने और क्रूरता बरते जाने का विनिर्दिष्ट प्राख्यान – उनकी इस कार्रवाई के कारण पत्नी को उसके पति द्वारा गया स्थित उसके माता-पिता के घर ले जाना और दहेज की मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणामों की धमकी देना – चूंकि अभिकथित अपराध कई स्थानीय क्षेत्रों में कारित किया गया है और उन स्थानीय क्षेत्रों में से एक स्थानीय क्षेत्र गया है इसलिए यह अपराध चालू रहने वाला अपराध है और गया के मजिस्ट्रेट को दांडिक मामले पर कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त है क्योंकि गया की घटना पत्नी के साथ अभिकथित रूप से किए गए दुर्व्यवहार और बरती गई क्रूरता से संबंधित चालू रहने वाले अपराध का परिणाम है ।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी पत्नी का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 से हुआ था । उसे प्रत्यर्थी-पति और उसके ससुराल वालों ने रांची स्थित अपना दांपत्य-गृह छोड़ने और गया स्थित अपने माता-पिता के घर चले जाने के लिए बाध्य किया । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 34 के साथ पठित धारा 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन गया में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें यह अभिकथन किया गया कि प्रत्यर्थी-पति और उसके नातेदार दहेज के लिए उसे तंग कर रहे हैं और याचना दे रहे हैं । गया के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिकथित अपराधों का संज्ञान लिया ।

अपील करने पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि गया में कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य नहीं हैं और उसने गया में की गई समस्त कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया और अपीलार्थी को उन्हें समुचित न्यायालय में फाइल करने की स्वतंत्रता दी । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी-पत्नी ने विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपीलें फाइल कीं । वर्तमान अपीलों में यह प्रश्न विचारार्थ उद्भूत हुआ है कि क्या अपीलार्थी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध गया में संस्थित की गई दांडिक कार्यवाहियां अधिकारिता के कमी के कारण संधार्य नहीं थीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में है । धारा 177 से धारा 179 से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य नियम यह है कि अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है । तथापि, जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है और वह धारा 178 के अनुसार विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है वहां ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम होता है । धारा 179 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अपराध के परिणामस्वरूप कोई बात हो गई है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला । (पैरा 6)

अपीलार्थी-पत्नी द्वारा अपने पति और उसके नातेदारों द्वारा रांची में बुरा बर्ताव किए जाने और क्रूरता बरते जाने के बारे में किए गए विनिर्दिष्ट प्राख्यान और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी कार्रवाई के कारण उसके पति द्वारा उसे उसके माता-पिता के घर गया में ले जाया गया था और उनकी दहेज की मांग पूरी न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी, संहिता की धारा 178 और 179 को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में अपराध एक चालू रहने वाला अपराध है जो कि एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में कारित किया गया है और क्योंकि उन स्थानीय

क्षेत्रों में से एक क्षेत्र गया है इसलिए गया के विद्वान् मजिस्ट्रेट को उस मामले में संस्थित दांडिक मामले के संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता है । दूसरे शब्दों में, चूंकि अपराध एक चालू रहने वाला अपराध है और गया में घटी घटना परिवादी के साथ बुरे बर्ताव करके तंग किए जाने संबंधी चालू रहने वाले अपराध का परिणाम मात्र थी इसलिए धारा 178 का खंड (ग) लागू होता है । इसके अलावा, परिवाद में लगाए गए अभिकथनों से यह प्रतीत होता है कि यह सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी के साथ किए गए बुरे बर्ताव और अपमान का एक चालू रहने वाला अपराध है और इस चालू रहने वाले अपराध में कुछ अवसरों पर सभी अभियुक्तों की भूमिका है और किसी अन्य अवसर पर अभियुक्तों में से एक, अर्थात् पति की भूमिका है, इसलिए संहिता की धारा 178 का खंड (ग) स्पष्ट रूप से लागू होता है । (पैरा 11)

उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करने वाला आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है कि गया में कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य नहीं हैं । उपर्युक्त कारणों से, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, गया को दांडिक कार्यवाहियों में अग्रसर होने और विधि के अनुसार उसका विनिश्चय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । (पैरा 12)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2003]	(2003) 11 एस. सी. सी. 126 : **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेश कौशल और एक अन्य** ;	8
[1997]	(1997) 5 एस. सी. सी. 30 : **सुजाता मुखर्जी (श्रीमती)** बनाम **प्रशांत कुमार मुखर्जी** ।	8

प्रभेदित निर्णय

[2008]	(2008) 11 एस. सी. सी. 103 : **भूरा राम और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	10
[2004]	(2004) 8 एस. सी. सी. 100 : **वाई. अब्राहम अजीत और अन्य** बनाम **पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और एक अन्य** ।	9,10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 917 और 918.

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री विवेक सिंह, (सुश्री) उदिता सिंह, चन्द्र प्रकाश और लक्ष्मी रमण सिंह
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री एस. बी. सन्याल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सुभ्रो सन्याल, गोपाल सिंह और (सुश्री) रमिता गुहा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् ने दिया ।

न्या. सदाशिवम् – इजाजत दी जाती है ।

2. इन दोनों अपीलों में एकमात्र विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा अपने पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध गया में आरंभ की गई दांडिक कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य हैं अथवा नहीं ।

3. संक्षिप्त तथ्य :

(क) प्रस्तुत अपीलार्थी का विवाह संजय कुमार सैनी – इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ तारीख 16 अप्रैल, 2000 को हिन्दू कृत्यों और कर्मों के अनुसार गया में हुआ था । अपीलार्थी के अनुसार विवाह के समय उसके पिता ने उसे सभी घरेलू उपकरण, अल्मारी, डबल बैड, डाइनिंग टेबल, फ्रिज़, टेलीविजन और 2,50,000/- रुपए की नकदी दान में दी थी । इसके अलावा, उसके पिता ने विवाह समारोह के लिए और उसके पति के कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को उपहार देने के लिए इतनी ही धनराशि खर्च की थी । इसके बावजूद, विवाह के ठीक पश्चात् उसके ससुराल वालों ने उस पर कम दहेज लाने का दोष लगाया और उन्होंने उसे तंग करना और यातना देना आरंभ कर दिया था । उसका पति भी अपने कुटुम्ब के सदस्यों का समर्थन किया करता था और उसे यातना देता था । उसने यह भी शिकायत की कि उसके पति ने रांची में अपने मकान के नवीकरण के लिए उसके माता-पिता से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग की थी । जब वह गर्भवती थी तब उसे बलपूर्वक रांची स्थित उसके वैवाहिक-गृह से निकालकर गया में उसके माता-पिता के घर लाया गया था । कन्या को जन्म देने के पश्चात् परिस्थितियां और भी बदतर हो गईं और प्रत्येक सदस्य ने उस पर यह दोष लगाना आरंभ कर दिया कि उसने उन पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है । कुछ समय पश्चात्, उसके पति ने एक नई मांग की

कि जब तक उसका पिता गया स्थित उसका घर उसे नहीं दे देता तब तक उसे रांची स्थित उसके वैवाहिक-गृह में वापस नहीं लाया जाएगा। अपीलार्थी ने वर्षों तक अपने पति और ससुराल वालों द्वारा निरन्तर यातना दिए जाने और असहनीय प्रकृति का व्यवहार किए जाने के कारण और कोई विकल्प न होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन मगध मेडिकल कालेज पुलिस थाना, गया में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो कि 2007 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 66 है।

(ख) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपपत्र का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाया और तद्नुसार उन सभी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया और मामला विचारण के लिए गया के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंतरित कर दिया। यद्यपि यह कथन करते हुए एक आक्षेप किया गया था कि गया स्थित न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है तथापि, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सभी सुसंगत सामग्री पर, जिसमें शिकायत में किए गए अभिकथन भी हैं, विचार करने के पश्चात् उक्त आक्षेप को नामंजूर कर दिया।

(ग) अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त आदेश से व्यथित होकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 42478 फाइल किया। उच्च न्यायालय ने तारीख 19 मार्च, 2010 के आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि गया में कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य नहीं हैं और उसने 2007 के मगध मेडिकल कालेज पुलिस थाना मामला सं. 66 में की गई समस्त कार्यवाहियां अभिखंडित कर दीं और प्रस्तुत अपीलार्थी को उसे समुचित न्यायालय में फाइल करने की स्वतंत्रता दी। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश का अनुसरण करते हुए तारीख 29 अप्रैल, 2010 को संजय कुमार सैनी पति (इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 2) द्वारा फाइल किया गया 2009 का दांडिक प्रकीर्ण सं. 45153 मंजूर कर लिया और उसके विरुद्ध दर्ज की गई दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित कर दीं।

(घ) अपीलार्थी-पत्नी ने उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 42478 में तारीख 19 मार्च, 2010 को और 2009 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 45153 में तारीख 29 अप्रैल, 2010 को पारित आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में उपरोक्त

अपीलें फाइल की हैं ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री विवेक सिंह और प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एस. बी. सन्याल तथा प्रत्यर्थी सं. 1-राज्य की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री गोपाल सिंह को सुना गया ।

5. चूंकि विवाद्यक अपीलार्थी-पत्नी द्वारा संस्थित दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता तक सीमित है इसलिए अन्य तथ्यात्मक पहलुओं की परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । चूंकि उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गया स्थित न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों का भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण करने की अधिकारिता है और उच्च न्यायालय ने उक्त विनिश्चय को उलट दिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि गया की कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य नहीं हैं, इसलिए सुसंगत उपबंधों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के प्रति निर्देश करना वांछनीय है ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) का अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में है । उसकी धारा 177-179 सुसंगत हैं, जो कि निम्नलिखित रूप में हैं :–

> "**177. जांच और विचारण का मामूली स्थान** – प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है ।
>
> **178. जांच या विचारण का स्थान** – (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा
>
> (ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा
>
> (ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा
>
> (घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से

> मिलकर बनता है,
>
> वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।
>
> **179. अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला** – जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला ।"

उपरोक्त उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य नियम यह है कि अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है । तथापि, जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है और वह धारा 178 के अनुसार विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है वहां ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम होता है । धारा 179 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अपराध के परिणामस्वरूप कोई बात हो गई है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला ।

7. उपरोक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, हम परिवाद में किए गए अभिकथनों पर विचार करते हैं । तारीख 17 अक्तूबर, 2007 को सुनीता कुमारी कश्यप ने, जो कि इस मामले में अपीलार्थी है, मगध मेडिकल कालेज पुलिस थाना, गया के भारसाधक निरीक्षक को एक परिवाद किया था । उस परिवाद में, अपीलार्थी ने संजय कुमार सैनी के साथ, जो कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी सं. 2 है, तारीख 16 अप्रैल, 2000 को अपने विवाह का वर्णन करने के पश्चात् यह कथन किया कि विवाह के ठीक पश्चात् उसके पति और उसके कुटुम्ब के सदस्यों की प्रेरणा पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और यातना दी गई और अंततः यह शिकायत की कि उसे रांची स्थित उसके वैवाहिक-गृह से इस धमकी के साथ

निकाल दिया गया था और गया स्थित उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया था कि जब तक वह अपने पिता का मकान अपने पति के नाम में नहीं करा लेती तब तक उसे सदा के लिए अपने माता-पिता के घर पर रहना होगा । उक्त परिवाद में, उसने यह भी प्राख्यान किया कि उसके पति ने उसे अपने पिता का मकान उसके नाम में कराने के लिए दबाव डाला और जब उसने इनकार कर दिया तो उसके पति द्वारा उसकी पिटाई की गई थी । यह भी प्राख्यान किया गया था कि उसके समस्त आभूषण और वस्तुएं अपने पास रखने के पश्चात् उसका पति उसे तारीख 24 दिसम्बर, 2006 को गया लाया और यह चेतावनी देते हुए उसे वहां छोड़ दिया कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक उसे गया में ही रहना है और यदि उसने उन मांगों के पूरा हुए बिना वापस आने का प्रयत्न किया तो उसे मार दिया जाएगा । यह भी कथन किया गया था कि उस तारीख से परिवाद की तारीख तक उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसकी खोज-खबर नहीं ली । संपूर्ण परिवाद का परिशीलन करने पर, जो कि एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उसके पति और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा रांची स्थित उसके वैवाहिक-गृह में दुर्व्यवहार किया गया और क्रूरता बरती गई थी और उनके कार्यों और धमकी के कारण उसे बलपूर्वक गया स्थित अपने माता-पिता के मकान में लाया गया था जहां उसने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दांडिक कार्यवाहियां संस्थित कीं । उन अपराधों में से भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता बरते जाने से संबंधित मुख्य अपराध है । उस धारा को उद्धृत करना उपयोगी है और वह निम्नलिखित रूप में है :–

> "**498क. पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
>
> स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'क्रूरता' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरा करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।"

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और 406 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में समरूप अभिकथनों पर, जैसे कि प्रस्तुत मामले में किए गए परिवाद में पाए गए हैं, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विनिश्चयों में विचार किया गया था :–

(i) **सुजाता मुखर्जी (श्रीमती)** बनाम **प्रशांत कुमार मुखर्जी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा समरूप विवाद्यक पर विचार किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संहिता की धारा 178 का खंड (ग) लागू होता है और पत्नी के माता-पिता के स्थान वाले मजिस्ट्रेट को भी परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता है । उक्त विनिश्चय में पत्नी इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी थी और अपीलार्थी सुजाता मुखर्जी का पति, उसके सास-ससुर और दो ननदें प्रत्यर्थी थीं । अपीलार्थी सुजाता मुखर्जी के अभिकथन का सार यह था कि दहेज की मांग के कारण न केवल रायगढ़ स्थित उसके ससुराल वालों के घर में उसके साथ बुरा बर्ताव और अपमान किया गया था बल्कि इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अपीलार्थी का पति उसके माता-पिता के घर पर भी आया था और उस पर प्रहार किया था । उस मामले में के प्रत्यर्थियों की ओर से रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह दलील दी गई थी कि उक्त विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दांडिक मामला इसलिए संधार्य नहीं है क्योंकि वाद हेतुक केवल रायगढ़ में कारित हुआ है जो कि रायपुर के विद्वान् मजिस्ट्रेट की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर है । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रीमती मुखर्जी के उक्त परिवाद को ग्रहण करके जारी किए गए समन को अभिखंडित करने की भी प्रार्थना की गई थी । चूंकि मुख्य न्यायिक

---

[1] (1997) 5 एस. सी. सी. 30.

मजिस्ट्रेट न तो समन को अभिखंडित करने और न ही दांडिक मामला रायगढ़ स्थित सक्षम न्यायालय में अंतरित करने के लिए तैयार था इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष सभी पांच प्रत्यर्थियों द्वारा एक दांडिक पुनरीक्षण याचिका और पति को संभवतः इस कारण छोड़कर चार प्रत्यर्थियों द्वारा एक अन्य दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई थी कि पति के विरुद्ध यह विनिर्दिष्ट अभिकथन किया गया था कि पति भी रायपुर गया था और अपीलार्थी पर प्रहार किया था और इसलिए पति क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी का अभिवाक् नहीं कर सकता था । उक्त दोनों दांडिक पुनरीक्षण मामलों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए तारीख 31 अगस्त, 1989 के एक ही आदेश द्वारा कर दिया गया था कि केवल अपीलार्थी के पति के विरुद्ध मामला संधार्य है और अन्य प्रत्यर्थियों की बाबत मामले का संबंध उन घटनाओं से है जो रायगढ़ में घटी थीं, इसलिए अपीलार्थी की ओर से किए गए परिवाद के आधार पर दांडिक मामला रायपुर में संधार्य नहीं है । उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपीलार्थी-सुजाता मुखर्जी द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी । यह दलील दी गई थी कि परिवाद से यह प्रकट होगा कि अपीलार्थी ने यह अभिकथन किया है कि उसके साथ रायगढ़ में लगातार और रायपुर में भी क्रूर व्यवहार किया गया था और रायपुर में घटी घटना एकमात्र घटना नहीं है बल्कि वह रायगढ़ में घटी अनेक घटनाओं के परिणामस्वरूप घटी थी । इसलिए, यह दलील दी गई थी कि उच्च न्यायालय ने परिवाद की परिधि का मूल्यांकन करके और इस आधार पर कार्यवाही करके गलती की थी कि रायगढ़ में अनेक अलग-अलग घटनाएं घटी थीं और एकल घटना रायपुर में घटी थी । इस न्यायालय ने संहिता की धारा 178 और विशेष रूप से खंड (ख) और (ग) का अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि परिवाद में किए गए इन अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए कि अपराध चालू रहने वाला था और वह एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में कारित किया गया था और उनमें से एक स्थानीय क्षेत्र रायपुर था, रायपुर के विद्वान् मजिस्ट्रेट को उस न्यायालय में संस्थित दांडिक मामले पर कार्यवाही करने की अधिकारिता थी । अंततोगत्वा, अपीलार्थी के आधार को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "हमने अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए परिवाद पर विचार किया है और हमें यह प्रतीत होता है कि परिवाद से सभी अभियुक्त प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थी के साथ बुरा बर्ताव और अपमान करने का

चालू रहने वाला अपराध प्रकट होता है और इस चालू रहने वाले अपराध में कुछ अवसरों पर सभी प्रत्यर्थियों की भूमिका थी और अन्य अवसर पर एक प्रत्यर्थी की भूमिका थी । इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 का खंड (ग) स्पष्ट रूप से लागू होता है ।"

(ii) **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेश कौशल और एक अन्य**[1] वाले मामले में पुनः समरूप परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क के अधीन अपराधों से संबंधित परिवाद के संबंध में धारा 179 के उपबंधों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"6. उपर्युक्त धारा में अधिकारिता रखने वाले दो न्यायालय अनुध्यात हैं और उन दो न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में विचारण करना अनुज्ञात है । एक वह न्यायालय है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कार्य किया गया है और दूसरा वह न्यायालय है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर परिणाम निकला है । जब यह अभिकथन किया जाता है कि जबलपुर में अन्याय हुआ तब यह दलील नहीं दी जाती है कि जबलपुर स्थित न्यायालय अधिकारिता अर्जित नहीं कर सकता था क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित कार्य इन्दौर में हुए थे ।"

9. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एस. बी. सन्याल ने उचित रूप से यह कथन किया कि पति के विरुद्ध गया स्थित न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई विवाद नहीं है तथापि, पति के अन्य नातेदारों की बाबत गया में कोई कार्य किए जाने के अभाव में उक्त न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है और यदि कोई अधिकारिता है तो भी पत्नी को अपने उपचार के संबंध में केवल रांची में ही कार्यवाही करनी है । उसने अपनी दलील के समर्थन में **वाई. अब्राहम अजीत और अन्य** बनाम **पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का और विशेष रूप से उक्त विनिश्चय के पैरा 12 का अवलंब लिया जो कि निम्नलिखित रूप में है :–

"12. निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या वाद हेतुक का कोई भाग

---

[1] (2003) 11 एस. सी. सी. 126.

[2] (2004) 8 एस. सी. सी. 100.

संबंधित न्यायालय की अधिकारिता के भीतर कारित हुआ था । संहिता की धारा 177 के निबंधनानुसार यह वह स्थान है जहां अपराध कारित किया गया था । सारतः, यह अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थित किए जाने के लिए वाद हेतुक है ।"

यह सही है कि संहिता की धारा 177 उस स्थानीय अधिकारिता के प्रति निर्देश करती है जहां अपराध कारित किया जाता है । यद्यपि "वाद हेतुक" अभिव्यक्ति दांडिक मामलों के लिए अपरिचित नहीं है, तथापि, संहिता की धारा 178 और 179 को ध्यान में रखते हुए और प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के परिवाद में किए गए विनिर्दिष्ट प्रकथन को देखते हुए हमारी यह राय है कि उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले को लागू नहीं होता है ।

10. श्री सन्याल ने **भूरा राम और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का भी अवलंब लिया जिसमें **वाई. अब्राहम अजीत और अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि "वाद हेतुक" उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उद्‌भूत हुआ था जहां कि अपराध कारित किया गया था इसलिए उसका विचारण किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था जहां अपराध का कोई भी भाग कारित नहीं हुआ था । उन्हीं कारणों से, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया गया है, जबकि इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में अपराध एक चालू रहने वाला अपराध था और गया की घटना परिवादी को तंग करने और उसके साथ बुरा बर्ताव करने संबंधी चालू रहने वाले अपराध का एक परिणाम था इसलिए धारा 178 का खंड (ग) लागू होता है । उपर्युक्त कारणवश दोनों विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होते हैं और हम श्री सन्याल द्वारा लिए गए आधार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं ।

11. हमने अपीलार्थी द्वारा परिवाद में दिए गए ब्यौरों का पहले ही उल्लेख कर दिया है । अपीलार्थी-पत्नी द्वारा अपने पति और उसके नातेदारों द्वारा रांची में बुरा बर्ताव किए जाने और क्रूरता बरते जाने के बारे में किए गए विनिर्दिष्ट प्राख्यान और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी कार्रवाई के कारण उसके पति द्वारा उसे उसके माता-पिता के घर गया में ले जाया गया था और उनकी दहेज की मांग पूरी न करने पर गंभीर

---

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 103.

परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संहिता की धारा 178 और 179 को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में अपराध एक चालू रहने वाला अपराध है जो कि एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में कारित किया गया है और क्योंकि उन स्थानीय क्षेत्रों में से एक क्षेत्र गया है इसलिए गया के विद्वान् मजिस्ट्रेट को उस मामले में संस्थित दांडिक मामले के संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता है । दूसरे शब्दों में, चूंकि अपराध एक चालू रहने वाला अपराध है और गया में घटी घटना परिवादी के साथ बुरे बर्ताव करके तंग किए जाने संबंधी चालू रहने वाले अपराध का परिणाम मात्र थी इसलिए धारा 178 का खंड (ग) लागू होता है । इसके अलावा, परिवाद में लगाए गए अभिकथनों से हमें यह प्रतीत होता है कि यह सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी के साथ किए गए बुरे बर्ताव और अपमान का एक चालू रहने वाला अपराध है और इस चालू रहने वाले अपराध में कुछ अवसरों पर सभी अभियुक्तों की भूमिका है और किसी अन्य अवसर पर अभियुक्तों में से एक, अर्थात् पति की भूमिका है, इसलिए संहिता की धारा 178 का खंड (ग) स्पष्ट रूप से लागू होता है ।

12. उपर्युक्त विचार-विमर्श और निष्कर्ष के कारण, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करने वाला आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है कि गया में कार्यवाहियां अधिकारिता की कमी के कारण संधार्य नहीं हैं । 2009 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 42478 में तारीख 19 मार्च, 2010 का उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश और 2009 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 45153 में तारीख 29 अप्रैल, 2010 का एक अन्य आदेश अपास्त किया जाता है । उपर्युक्त कारणों से, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, गया को 2008 के विचारण सं. 1551 और 2009 के विचारण सं. 1224 में दांडिक कार्यवाहियों में अग्रसर होने और विधि के अनुसार उसका विनिश्चय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने दोनों पक्षकारों के गुणागुण और दावों के संबंध में कोई भी मताभिव्यक्ति नहीं की है और हमारा उपर्युक्त निष्कर्ष गया स्थित न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता तक सीमित है । दोनों दांडिक अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.